



ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...



सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिली
आर्थिक स्वतंत्रता और नया आत्मविश्वास
(पृष्ठ - 02)



संकट से सशक्तिकरण की ओर
एक महिला की प्रेरक जीवन यात्रा
(पृष्ठ - 03)



शराबबंदी के बाद नई राह:
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता
एक प्रेरणादायक कदम
(पृष्ठ - 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना एक नई राह

माह - मई 2025 || अंक - 46

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता: वित्तीय और गैर-वित्तीय

बिहार सरकार द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली पहल है। इसका उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों, विशेष रूप से उन परिवारों को सशक्त बनाना है, जो पूर्ण शराबबंदी के बाद अपनी पारंपरिक आजीविका से वंचित हो गई थीं। इस योजना के माध्यम से उन्हें एक स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मुहैया कराया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीब, वंचित और जोखिमग्रस्त परिवारों को आर्थिक सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन देकर स्थायी रोजगार की ओर अग्रसर करना है।

वित्तीय सहायता का विवरण

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 2 से 3 किस्तों में अधिकतम 2,00,000 रुपये तक हो सकती है। यह राशि उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दी जाती है, जैसे कि पशुपालन, सब्जी उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, सुक्ष व्यावसाय, कृषि कार्य आदि। यह निवेश सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाती है ताकि वे व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के लिए कुल 3032 करोड़ रुपये का बजट तीन वर्षों में खर्च करने की योजना है, जो इस कार्यक्रम की व्यापकता को दर्शाता है।

गैर-वित्तीय सहायता: मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहयोग

सतत् जीविकोपार्जन योजना की एक बड़ी विशेषता इसकी गैर-वित्तीय सहायता है, जो लाभार्थियों को सिर्फ धन नहीं देती, बल्कि उन्हें उस धन का सही उपयोग करना भी सिखाती है।

- व्यवसायिक मार्गदर्शन और योजना बनाना:** योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को व्यवसाय शुरू करने से पहले विस्तृत प्रशिक्षण और योजना निर्माण में सहायता दी जाती है। लाभार्थियों को यह समझाया जाता है कि बाजार की मांग क्या है, कौन-से संसाधनों की आवश्यकता है, और व्यवसाय को टिकाऊ कैसे बनाना है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास:** विभिन्न विषयों जैसे कि पशुपालन, बागवानी, मार्केटिंग, रख-रखाव एवं बचत आदि पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थी न केवल नया व्यवसाय शुरू करने में सक्षम होते हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित भी कर सकते हैं।
- सामुदायिक संसाधन सेवी दीदी की भूमिका:** योजना के अंतर्गत मास्टर संसाधन सेवी का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा की जाती है, जो लाभार्थियों के साथ नियमित संपर्क में रहती हैं। वे उन्हें योजनाओं की जानकारी, व्यवसायिक सलाह, दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में मदद, और मनोबल बढ़ाने में सहयोग करती हैं।
- समूह आधारित सहयोग:** लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों या उत्पादक समूहों से जोड़ा जाता है, जिससे वे एक-दूसरे से सीख सकते हैं, आपसी सहयोग कर सकते हैं, और सामूहिक रूप से विपणन जैसी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
- बाजार से जुड़ाव और उत्पाद बिक्री में सहायता:** योजना के तहत स्थानीय हाट, मेले, प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लाभार्थियों को अपने उत्पाद बेचने के अवसर दिए जाते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना बिहार के अत्यंत गरीब परिवारों के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी गैर-वित्तीय सेवाएं भी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सतत् सहयोग जैसे तत्व इस योजना को एक संपूर्ण आजीविका मॉडल बनाते हैं।

इस तरह की योजनाएं यदि सही ढंग से लागू की जाएं, तो वे न केवल गरीबी उन्मूलन में सहायक बनती हैं, बल्कि समाज में सम्मान, आत्मविश्वास और सामूहिक सशक्तिकरण का नया युग शुरू करती हैं। यही आत्मनिर्भर बिहार की

सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिली आर्थिक स्थिरता और नया आत्मविश्वास

मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड स्थित हेमजापुर गांव की शालिनि देवी, जो मध्यमवर्गीय परिवार से आती हैं, ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। चार बच्चों की मां शालिनि देवी के पति गांव में मजदूरी कर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर आमदनी बेहद सीमित थी। ससुर के निधन के बाद परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और देवर का सहयोग भी कुछ समय बाद रुक गया। ऐसे में दीदी ने खुद कुछ करने की ठानी, ताकि अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर एक बेहतर भविष्य दे सके।

शालिनि देवी को ग्राम संगठन के माध्यम से सतत् जीविकोपार्जन योजना में शामिल किया गया। योजना के तहत तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के बाद दीदी ने गाय पालन का निर्णय लिया। इसके लिए उन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये रुपये में गौशाला निर्माण हेतु सहयोग मिला। इसके पश्चात 50,000 रुपये रुपये की जीविकोपार्जन निवेश निधि दी गई, जिससे उन्होंने एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदी और चारे की व्यवस्था की। साथ ही, सात महीनों तक 1,000 रुपये रुपये प्रतिमाह की जीवनोपयोगी सहायता राशि भी प्रदान की गई।

गाय से प्रतिदिन औसतन 8 लीटर दूध उत्पादन होने लगा, जिसे वे स्थानीय बाजार में 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने लगीं। इससे उन्हें प्रतिदिन करीब 200 रुपये की आमदनी होने लगी। धीरे-धीरे उन्होंने एक और गाय खरीद ली और आज हर माह 4,000 रुपये से 5,000 रुपये रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं।

अब वे अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी रही हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उनके जीवन को दिशा दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया।



दृढ़ संकल्प से बदली तकदीर: सतत् जीविकोपार्जन योजना से मिला नया जीवन

जमुई जिले के प्रतापपुर गांव की एक दिव्यांग महिला बबिता देवी ने अपने आत्मविश्वास और सरकारी सहयोग से न केवल अपनी जिंदगी की दिशा बदली, बल्कि अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। पहले जहां वह और उनके पति शराब बनाकर किसी तरह परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे, वहीं राज्य में शराबबंदी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। कभी मायके से मदद मिल जाती, तो कभी भूखे सोना पड़ता। उनके पति भी दिव्यांग हैं। दो बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर था।

वर्ष 2023 में सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत बबिता देवी का चयन किया गया। योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने किराना दुकान खोलने का निर्णय लिया। सृष्टि जीविका महिला ग्राम संगठन के माध्यम से उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि, विशेष निवेश निधि और जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि मदों से कुल 33,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस पूंजी से उन्होंने किराना दुकान शुरू की और साथ ही बकरी पालन का कार्य भी शुरू किया। उनकी मासिक आमदनी अब 6,000 रुपये रुपये हो गई है।

सरकारी योजनाओं जैसे विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, बीमा योजना और आयुष्मान कार्ड का लाभ भी उन्हें मिला है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आई है। हाल ही में उन्हें ई-रिक्शा खरीदने हेतु 1,46,700 रुपये की दूसरी किस्त दी गई है।

आज बबिता देवी अपने आत्मबल और सरकारी योजनाओं की मदद से समाज के लिए प्रेरणा बनी हैं। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।

शंकट से अशक्तिकरण की ओर एक महिला की प्रेरक जीवन यात्रा



अंधेरे से आत्मनिर्भरता की ओर

नवादा जिले की नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत ननौरा पंचायत के चिरैया गांव की अकबरी खातून का जीवन कभी दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। वर्ष 2010 में उनके पति की असमय मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह अकेला कर दिया। तीन साल का बेटा, न खुद की ज़मीन और न ही कोई स्थायी आय का स्रोत। ऐसे में मजदूरी ही एकमात्र सहारा था। लेकिन छोटे बच्चे के कारण नियमित काम करना भी कठिन था।

समय बीतता गया, लेकिन गरीबी और भूख की मार लगातार बनी रही। गांव के लोगों ने कई बार उन्हें जीविका समूह से जुड़ने के लिए कहा, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह नियमित बचत कर सकें। अंततः 24 जुलाई 2018 को वह अनु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और धीरे-धीरे छोटी ज़रूरतों के लिए समूह से ऋण लेकर उन्हें पूरा करने लगीं।

वर्ष 2019 में जब बिहार सरकार की 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' शुरू हुई, तो कमल जीविका महिला ग्राम संगठन ने उन्हें योजना के लिए चयनित किया। यह उनके जीवन में उम्मीद की पहली किरण थी। योजना के तहत जब उनसे पूछा गया कि वे कौन-सा रोजगार करना चाहेंगी, तो उन्होंने श्रृंगार दुकान खोलने की इच्छा जताई। योजना के तहत राशि मिलने पर उन्होंने खुशी-खुशी अपने घर में दुकान शुरू की और समूह से ऋण लेकर पूंजी भी बढ़ाई।

अब उनकी दुकान में श्रृंगार के साथ-साथ राशन की बिक्री भी होती है। हर दिन 600-700 रुपये की बिक्री हो रही है, और वह धीरे-धीरे समूह का ऋण भी चुका रही हैं। उनका बेटा अब 14 साल का है और दसवीं कक्षा में पढ़ रहा है।

यह कहानी बताती है कि कैसे एक अकेली महिला ने अपने जीवन के अंधेरे को पीछे छोड़ आत्मनिर्भरता और सम्मान की राह पकड़ी। जीविका और सरकार की यह पहल वास्तव में बदलाव की मिसाल है।

मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के माधोपुर हजारी पंचायत की काजल देवी के जीवन में उस समय अंधकार छा गया, जब उनके पति, जो मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे, अचानक दुनिया छोड़ गए। चार बच्चों की जिम्मेदारी और आय का कोई साधन न होने के कारण उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया।

इन्हीं विकट परिस्थितियों में जीविका एक मजबूत सहारा बनकर सामने आया। काजल देवी पहले से ही एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य थीं। बिहार सरकार द्वारा संचालित 'सतत् जीविकोपार्जन योजना' के अंतर्गत जब ग्राम संगठन के माध्यम से चयन हुआ, तो उनके लिए एक नई शुरुआत की संभावना खुली। उस समय उनका अपना कोई बैंक खाता भी नहीं था, जिसे जीविका के सहयोग से खुलवाया गया।

योजना के तहत उन्हें 37,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने दो जीविकोपार्जन हेतु बकरी पालन और किराना दुकान शुरू कीं। शुरुआत में कठिनाइयाँ थीं, लेकिन जीविका के मार्गदर्शन और उनके आत्मविश्वास से धीरे-धीरे व्यापार जमने लगा। आमदनी के साथ घर में रौनक लौट आई।

जहाँ एक समय उनके सामने रोजी-रोटी का संकट था, वहीं अब वे आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। उनके बच्चों की परवरिश भी सम्मानजनक ढंग से हो रही है। जीविका ने न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि सामाजिक पहचान भी दी।

यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि हजारों ऐसी महिलाओं की है जिनके जीवन में जीविका ने उम्मीद की किरण जगाई। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का सशक्त उदाहरण बन चुकी है।





शराबबंदी के बाद नई राह: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक प्रेरणादायक कदम

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने जिन योजनाओं के माध्यम से प्रभावित परिवारों को नई आजीविका की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया, उनमें सतत् जीविकोपार्जन योजना (एस.जे.वाई.) अत्यंत प्रभावशाली रही है। इस योजना का मकसद उन परिवारों को वैकल्पिक और स्थायी आजीविका के साधन प्रदान करना है जो पहले शराब या ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े थे और शराबबंदी के कारण अचानक बेरोजगारी की मार झेलने लगे।

लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के सूर्यपुरा पंचायत के चक मसकन कतेहार गांव की खुशबु देवी ने इसी योजना के सहारे अपने जीवन को नया मोड़ दिया। पहले उनका परिवार पीढ़ियों से ताड़ी उत्पादन और बिक्री जैसे पुश्तैनी काम में लगा हुआ था। लेकिन वर्ष 2018 में जब बिहार सरकार ने शराब के साथ-साथ ताड़ी उत्पादन पर भी सख्ती से रोक लगाई, तब उनके सामने रोजगार का संकट गहरा गया। घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

ऐसे कठिन समय में, मौसम जीविका महिला ग्राम संगठन ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत इस परिवार का सर्वेक्षण कर इन्हें योजना का लाभार्थी बनाया। परिवार की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गाय पालन के लिए 20,000 रुपये की जीविकोपार्जन निवेश निधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये की विशेष निवेश निधि और सात माह तक 1,000 रुपये प्रति माह की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि भी दी गई, जिससे शुरुआती समय में आर्थिक स्थिरता बनी रह सके।

सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि उन्हें गाय एवं बकरी पालन का समुचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया गया। यह प्रशिक्षण व्यावसायिक समझ और पशुपालन की व्यवहारिक जानकारी पर आधारित था, जिससे उन्होंने दूध उत्पादन और बिक्री से अच्छी खासी आमदनी शुरू कर दी। जैसे-जैसे आमदनी में सुधार होता गया, उन्होंने अपनी बचत से दो बकरियाँ भी खरीद लीं। कुछ ही समय में बकरियों की संख्या बढ़कर छह हो गई, और पशुपालन उनके लिए एक नियमित आय का स्रोत बन गया।

वर्तमान में, खुशबु देवी के पास एक गाय और छह बकरियाँ हैं और परिवार की औसतन मासिक आय 9,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच है। उनकी कुल परिसंपत्ति अब 1.25 लाख रुपये से अधिक की हो चुकी है। जीविका ने हाल ही में उन्हें एस.जे.वाई. के तहत 13,500 रुपये की द्वितीय किश्त भी प्रदान की है, जिससे वह अपने व्यवसाय को और विस्तार दे सकें।

अब खुशबु देवी ग्रेजुएट दीदी के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि शराबबंदी के बाद विकल्प तलाशना संभव है, बशर्ते सही दिशा और सहयोग मिले। वह अब समाज में न सिर्फ आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानी जाती हैं, बल्कि उन्हें वह सम्मान भी मिल रहा है, जो कभी उनके हिस्से नहीं था।

उनके बच्चे, जो कभी गलियों में समय बिताया करते थे, आज नियमित रूप से पढ़ने हेतु विद्यालय जा रहे हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलने लगा है, जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि।

यह कहानी बताती है कि एक सही हस्तक्षेप, निरंतर सहयोग और प्रशिक्षण किसी भी महिला को सशक्त बनाकर उसके पूरे परिवार का जीवन बदल सकता है। शराबबंदी ने जहाँ एक ओर संकट खड़ा किया, वहीं जीविका और एस.जे.वाई. जैसी योजनाओं ने उस संकट को अवसर में बदलने का रास्ता दिखाया। यह बदलाव न सिर्फ आर्थिक है, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास का भी प्रतीक बन चुका है।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम

- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – राज्य परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम

- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय

- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार